

फर्द अहकाम
(नियम-26)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़ (राज0)
श्री राधेश्याम दायमा 65, जीणमाता नगर, हरनाथपुरा, शेखावत मार्ग, झोटवाडा, जयपुर
बनाम

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़
किस्म प्रकरण अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
प्रकरण संख्या 54/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/06/19	<p>सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलार्थी श्री राधेश्याम दायमा निवासी 65, जीणमाता नगर, हरनाथपुरा, शेखावत मार्ग, कालवाड़ रोड़, झोटवाडा, जयपुर ने सूचना प्राप्ति हेतु एक आवेदन लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ के यहां दिनांक 15.04.2019 को प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन पर लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थी को समय पर सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस कार्यालय को प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवं संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र से जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ से संबंधित सूचनायें चाही गईं। जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ के लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ तथा अपीलीय अधिकारी स्वयं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ है।</p> <p>यहां यह उल्लेखनीय है कि यह कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) का अपीलीय प्राधिकारी होकर लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर ही अपील ग्रहण करता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) की श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आते हैं।</p> <p>चूंकि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिससे प्रस्तुत अपील पर इस कार्यालय द्वारा सुनवाई नहीं की जा सकती है। अतः अपीलार्थी को संबंधित अपीलीय प्राधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ के यहां अपील प्रस्तुत करने तथा अपीलीय प्राधिकारी (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़) द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में सूचना आयोग में द्वितीय अपील प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे।</p> <p style="text-align: center;">(शिवांगी स्वर्णकार) लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>	<p style="text-align: right;">NT 99 26/6/19</p>

